BODHI

International Journal of Research in Humanities, Arts and Science

An online, Peer reviewed, Refereed and Quarterly Journal

Vol : 2 No : 1 October 2017 ISSN : 2456-5571

CENTRE FOR RESOURCE, RESEARCH & PUBLICATION SERVICES (CRRPS)

www.crrps.in | www.bodhijournals.com

Vol.2 No. 1 October 2017 e-ISSN: 2456-5571

हिंदी भाषा, साहित्य और सिनेमा

डॉ. संजय राठोड

मनुष्य समाजप्रिय प्राणी है। वह समाज में रहकर ही किसी ने किसी माध्यम से विचारों का अदान–प्रदान करता है। समाज की वास्तविकता को वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में देख लेता है। वह जीवन जगत को कल्पना के माध्यम से भी देखना चाहता है। उसी कल्पना ने कला को जन्म दिया । वैसे ही कला, कला के लिए और कला जीवन के लिए बनी। मनुष्य ने कला के सहारे वास्तविक दुनिया में प्रवेश किया। साहित्य, स्थापत्य, चित्र, शिल्प, आदि कलाओं में मानवीय तस्वीरें सामने आने लगी। नतीजा यह हुआ कि आगे चलकर विज्ञान की तकनीकों ने रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, कम्प्युटर, मोबाईल आदि माध्यमों के कला रूप सामने आये। वैसे तो साहित्य प्राचीन कलाओं में सेएक है और सिनेमा नूतन कलाकृति है। "इस कला का जन्म 19वी शताब्दि में हुआ था।"[1] फिल्म कला रूप में अधिक प्रभावी रहा है। कला की दृष्टि से सिनेमा साहित्य से प्रभावित रहा है, लेकिन बाजारीकरण ने इस कला को व्यवसायिकता में ढकेल दिया है। सिनेमा की लोकप्रियता कई कारणों से है, जैसे फिल्म के दृश्य, संगीत, गीत, नृत्य आदि।

सिनेमा की जडे साहित्य के उपन्यास, कहानी, नाटक आदि विधाओं में बिखरी हुई होती है। उसके आधार पर कोई भी पटकथाकार अपनी पटकथा लिखता है। साहित्य में कोई भी लेखक अपनी भावनाओं को सहज ढंग से व्यक्त करता है। सिनेमा भी समाज की मनोभावनाओं को अलग ढंग से परदे पर उतारता है। भले ही साहित्य और सिनेमा दो भीन्न विधाएँ हैं, फिर भी दोनों का परस्पर गहरा सम्बन्ध है। प्रारंभ में जब कहानी पर फिल्में बननी शुरू हुई तो इनका आधार साहित्य ही था। भारत में दादासाहब फालके ने 'राजा हरिश्चंद्र' नाम की पहली फिल्म बनायी थी। यह भारत की प्रथम यथार्थवादी फिल्म बनी। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक 'हरिश्चंद्र' पर आधारित यह फिल्म थी। अर्थात साहित्य से ही फिल्म निर्माण का प्रारंभ हो जाता है। आज फिल्म सर्वाधिक मनोरंजन का प्रभावी माध्यम बन चुकी है। फिल्म को आम लोगों तक पहुँचाने में हिंदी भाषा का महत्व रहा है। हिंदी केवल राजभाषा के रूप में कार्यालयीन कामकाज की या साहित्य की ही भाषा नहीं रही। देशी फिल्मों की वह प्रमुख भाषा बन चुकी है। वर्ष 1931 में बोलती फिल्म 'आलम आरा' लोगों के सामने आयी। 'आलम आरा' से लेकर आजतक सर्वाधिक फिल्मे हिंदी भाषा में बन चुकी है। "आंकडों के मुताबिक, भारत में पच्चीस से अधिक भाषाओं में फिल्में बनती है, जिनमेंएक चौथाई से अधिक फिल्में हिंदी की होती है और इनके दर्शक संपूर्ण विश्व में फैले हुए है।"[2] इसके कारण आज हिंदी भाषा देश और विदेश की प्रमुख भाषा बन रही है। वह राजभाषा के रूप में अपना प्रभाव सिद्ध कर रही है, तो दूसरी ओर पर नेपाल, मॉरिशस आदि देशों में अपना अंतरराष्ट्रीय स्वरूप सिद्ध कर रही है। अधिकतर उसकी पहचान फिल्मों के कारण हुई है और अब सवाल यह उपस्थित होता है कि हिंदी का कौनसा–सा रूप लोगों को अधिक प्रभावित कर रहा है। वैसे तो समाज में उसके रूपों –राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा, राजभाषा, साहित्यिक भाषा, जनभाषा देखने में आते हैं। लेकिन इसमें से फिल्मों की दृष्टि से उसका जनभाषा वाला रूप अधिक प्रभावी रहा हैं। क्योंकि कोई भी फिल्म आसानी से उस लोकजीवन से जुड़ जाती है, जिस लोकजीवन को निर्माता फिल्मी परदे पर दिखाना चाहता है। गोदान, संत तुकाराम, पडोसन, क्रांति, शोले, मदर इंडिया, पुकार, लगान, दंगल आदि फिल्मों में हम उस समय के लोकजीवन को यथा स्थितियों के रूप में देख पाते है। विशेष रूप से ये फिल्में हिंदी भाषा के जनभाषा रूप को लेकर परदे पर उतारी गई। क्योंकि सिनेमा देखनेवाले असंख्य दर्शक होते हैं। पढ़ा लिखा और अनपढ़ दोनों वर्गों के लिए फिल्में बनायी जाती है। फिल्मों मे इन दोनों वर्गों की भाषाओं को ध्यान में रखा

जाता है। इस दृष्टी से हिंदी का जनभाषा रूप कारीगर साबीत होता है, इसमें कोई शक की गुंजाईश नहीं है।

हिंदी साहित्य पर कई फिल्में बनी है। लेकिन व्यवसाय की दृष्टि से उतनी सफल नहीं हो पायी। गोदान, सद्गती, कफन, तीसरी कसम, शतरंज के खिलाडी, पाथेर पांचाली, अपराजितों, चिडियाँ खाना, जय बाबा फेलूनाथ, घरे बाइरे, गणशत्रु आदि रचनाओं के आधार पर कई फिल्में बनी। लेकिन निर्माताओं ने लेखक के मूल भावोंएवं पात्रों में बदलाव करक संदर्भएवं घटनाओं को अलग ढंग से पटकथा में रखा। परिणामस्वरूप साहित्यकार की मूल भावनाएँ पट्कथा में उतर नही आयी। जैसे, प्रेमचंद के गोदान में गोबर मूलतः संघर्ष करनेवाला पात्र है। लेकिन इस पर बनी फिल्म में गोबर आधुनिक संघर्ष का पात्र बनकर जोकर के रूप में सामने आया है। यही इस फिल्म की निराशा का मुख्य कारण बन जाता है। निर्माताओं को साहित्यिकार के मानसिक बुनावट को भी समझना पड़ेगा तभी साहित्यकार की सोच के साथ निर्माता इंसाफ कर पायेगें। हिंदी सिनेमा में हिंदी गीतों का काफी महत्व रहा है। आज तक फिल्में हिंदी गीतो के कारण काफी चर्चित रही है। खासकर पूरानी फिल्मों के गीत आशय पूर्णएवं भावपूर्ण रहते थे। जो आज भी देश और विदेश के लाखों के जुबान पर आते रहतें हैं। "पुरानी फिल्मों के प्रेम–गीत या सौंदर्य–वर्णन के गीतों में जो भाव देखने को मिलता है, वह अत्यंत परिष्कृत, नवीन तथा साहित्यक है। और अन्य सूक्ष्म चेतना से उपजा मालुम पडता है।"[3] लेकिन इस दौर की फिल्मों में हिंदी भाषा के कई रूपोंएवं शैलियों का प्रयोग सामने आ रहा है। फिर वह मुन्नभाईएम.बी.एस. हो या दंगल। अहिंदी भाषिक लोग भी सहज ढंग से हिंदी फिल्मों के गीतों को गुनगनाते रहते हैं। इसके कारण हिंदी भाषा शहरों से लेकर गांव के लोकजीवन में घुल–मिल गयी। आज वह फिल्मों के साथ कम्प्युटर, इंटरनेट, मोबाईल, हॉट्सअप की प्रमुख भाषा बन रही है। भारत के विभिन्न राज्यों में हिंदी भाषा का प्रयोग बढ़ हो रहा है। तकनिकी दृष्टि से वैज्ञानिक हिंदी की संभावनाएं उभरकर सामने आयेगीं। निश्चित रूप से हिंदी भाषा ज्ञानएवं विज्ञान की दृष्टि से महत्वपूर्ण बनेगी, भले ही उसके सामने अंग्रेजी भाषा की चुनौती क्यों न हो ? आज तो हिंदी की प्रमुख बोलियों में भोजपुरी, को 'आठवी अनुसूची में लाने के निर्देश दिए गए है। कई लोगों का कहना है कि इसके कारण हिंदी भाषा खतरे में आयेगी। हिंदी भाषा का महत्व कम हो जायेगा। लेकिन यह भ्रम उत्पन्न करनेवाला तर्क है। क्योंकि हिंदी किसीएक प्रदेश या विशिष्ट वर्ग की भाषा नहीं रही है। वह इस देश की राजभाषा होकर राष्ट्रभाषा की दृष्टि से सम्पन्न बन रही हैं। आज वह करोडों लोगों के व्यवहारएवं सम्पर्क की भी बन गई है।

हिंदी भारत में सर्वाधिक रूप में बोलीएवं समझी जानेवाली भाषा है। इसकी कई बोलियाँ हैं। जैसे, मागधी, भोजपुरी, अवधी, बंगाली, शौरसेनी मागधी, गुजराती, राजस्थानी आदि। तुलसी का 'रामचरितमानस' अवधी में लिखा गया। मतलब उस समय अवधी यह आम लोगों की भाषा थी। सुरदास ने भी प्रेमकाव्य की दृष्टि से सूरसागर जैसा महान काव्य ग्रंथ ब्रजभाषा में लिखा। कबीर ने सधुकडी खडीबोली को महत्व दिया। मतलब हिंदी को प्रसारित करने का काम इन बोलियों ने किया है। आज भोजपूरी में भी कई फिल्में बन रही है। जिनकी चर्चा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी हो रही है। और आज भोजपूरी को आठ़वी अनुसूची में राजभाषा के रूप में मान्यता देने के रूप में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इन बोलियों के कारण ही हिंदी का महत्व बढ़ा है। कई प्रदेशों में हिंदी कामकाजएवं व्यवहार भाषा बनी हुई है। आज के जमाने में उसके कई रूप सामने आ रहें हैं। फिर वह साहित्य हो या मीडिया। प्रयुक्ति के धरातल पर हम उसके राष्ट्रभाषा बनने की संभावनाओं को नकार नही सकते। क्योंकि किसी भी देश का सम्मान उसकी राष्ट्रभाषा से होता हैं । इसलिए प्रत्येक राष्ट्र की तरह हमारे देश की भी कोई ना कोई राष्ट्रभाषा हो। महात्मा गांधीजी ने सही कहा था–"कोई भी देश राष्ट्रभाषा के बिना गूंगा है।" यह पंक्ति राष्ट्रभाषा की दृष्टि से सार्थक है। इसका जीवंत उदाहरण चीन है। चीन ने अपनी मंदारी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया और आज संपुर्ण चीन में उसी भाषा के प्रयोग ने अंग्रेजी को पीछे छोड़ दिया है। दुनिया में सबसे अधिक लोग मंदारी भाषा को जानते हैं। चीन, जपानऐसे राष्ट्र है जो अपनी राष्ट्रभाषा को अधिक महत्व

देते हैं। उसी भाषा का प्रयोग सामान्य व्यवहार से लेकर ज्ञान–विज्ञान तक होता है। क्योंकि भाषा का महत्व तो प्रयोग पर ही बढेगा। जीतना अधिक प्रयोग होगा उतनी मात्रा में वह भाषा पनपती है। उसका विकास होता है। इस दृष्टि से देखा जाए तो भारत में हिंदी भाषा अधिक बोलीएवं समझी जाती है। उसमें नये–नये पारिभाषिक शब्दावली निर्माण करने की ताकत है। इसलिए भारत सरकार को संविधान के अध्याय–17 में अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक या कई संकल्प, अधिनियमोंएवं गठित आयोगों में दिये गए निर्देशों में बदलाव करना पडेगा। इसके लिए भारत सरकार को ठोस उपाय करने होगें। संविधान में हिंदी भाषा के संबंध में दिये गये अधिनियमों में बदलाव लाना होगा। और अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी के निश्चत प्रयोग पर बल देना पडेगा। आज भारत को आजादी मिलकर 70 साल पूरे हो गये । हिंदी की स्थिति में तो सुधार हुआ है लेकिन हिंदी को राष्ट्रभाषा का सिंहासन प्राप्त नही हुआ है। आज अंग्रेजी की तुलना में हिंदी को जानने वालों की संख्या बढ़ गयी है, चाहे साहित्य का क्षेत्र हो, बाजार का हो या मीडिया। यहाँ तक कि हिंदी आज दक्षिण के फिल्मों या अनुवाद के माध्यम से प्रयोग में आ रही है। लेकिन हम उसे केवल राजभाषा के रूप में ही देख रहे हैं। इसे हमें राष्ट्रभाषा के रूप में देखना होगा। राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता देनी होगी। अन्यथा कार्यालयीन कामकाज में वह केवल विकल्प भाषा के रूप में ही रहेगी। इसके लिए हमें पहले अंग्रेजी भाषा को हटाना होगा। हम यह नहीं कह सकते कि, अंग्रेजी भाषा को पूर्ण रूप से हटाया जाए। क्योंकि कोई भी प्रचलित भाषाएका–एक नहीं हटती। लेकिन केंद्रिय या अर्धसरकारी कार्यालयों या संस्थाओं में हम हिंदी प्रयोग को अनिवार्य कर सकते हैं। तब उसे पढे लिखे या अशिक्षित लोग भी आसानी से उस भाषा के प्रयोग को समझेंगे और उस भाषा में व्यवहार करेंगे। अन्यथा हम प्रत्येक वर्ष केवल औपचारिकता के रूप में 14 सिंतबर को हिंदी दिवस मनाते रहेंगे। हिंदी उतनी मात्रा में कार्यान्वयन नहीं होगी।

संदर्भ

1ण सिनेमा के चार अध्याय, डॉ. टी. शशिधरन, पृ. 13

2ण राजभाषा हिंदी(पत्रिका), सं. डॉ. श्रीप्रकाश शुक्ल. पृ. 22

3ण साहित्य और सिनेमा, सं. डॉ. शैलजा भारद्वाज. पृ. 38